संख्या-19/2019/1246/53-2-19-2(44)/15

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 31 अक्टूबर, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-485/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-सामान्य/2019-20, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलाये जाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत धनराशि रू0 300.00 लाख का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड पच्चास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-6/2019/502/53-2-19-2(44)/15, दिनांक 15 अप्रैल, 2019 द्वारा निर्गत की गयी है। अत: चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड पच्चास लाख मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में व्यय हेतु **संलग्नक** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यों /मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नही होगा।

(3) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी।

(4) उक्त धनराशि जिलायोजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(5) व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ /समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(7) स्वीकृति की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

(8) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(9) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में लघु, सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगें।

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघों को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) स्वीकृति धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ / परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(14) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0301-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या-यू0ओ0-ई-1-962/दस-2019, दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 19/2019/1246(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019 /1246/53-2-19-2(44) /15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक वित्तीय वर्ष 2019-20 में तकनीकी निवेश कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

जिला योजना (सामान्य) **(धनराशि हजार रू0 में)**

क्र0	जनपद	आहरण वितरण / निवर्तन अधिकारी का पद नाम	पशु स्वास्थय कार्यक्रम						कुल धनराशि
			डिवार्मिंग		थनैला नियंत्रण		टिक कन्ट्रोल		
			भौतिक संख्या	धनराशि दर 20/-	भौतिक संख्या	धनराशि दर 81/-	भौतिक संख्या	धनराशि दर 24/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	दु0विअ0 आगरा	5812	116.240	607	49.167	1279	30.696	**196.103**
2	मैनपुरी	उप दु0विअ0 मैनपुरी	551	11.020	79	6.399	131	3.144	**20.563**
3	मथुरा	दु0विअ0 आगरा	9911	198.220	1021	82.701	2068	49.632	**330.553**
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	3506	70.120	329	26.649	646	15.504	**112.273**
5	अलीगढ़	दु0वि०अ0 आगरा	5982	119.640	616	49.896	1246	29.904	**199.440**
6	हाथरस	-तदैव-	1996	39.920	206	16.686	416	9.984	**66.590**
7	एटा	-तदैव-	3281	65.620	338	27.378	684	16.416	**109.414**
8	कासगंज	-तदैव-	1094	21.880	113	9.153	228	5.472	**36.505**
9	झॉसी	उप दु0वि०अ0 झॉसी	2749	54.980	283	22.923	573	13.752	**91.655**
10	ललितपुर	-तदैव-	2575	51.500	265	21.465	537	12.888	**85.853**
11	जालौन(उरई)	उप दु0विअ0 जालौन(उरई)	2067	41.340	213	17.253	431	10.344	**68.937**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	2005	40.100	207	16.767	418	10.032	**66.899**
14	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	381	7.620	39	3.159	80	1.920	**12.699**
13	बॉदा	उप दु0वि0अ0 बॉदा	832	16.640	86	6.966	174	4.176	**27.782**
15	चित्रकूट(कर्बी)	-तदैव-	942	18.840	97	7.857	196	4.704	**31.401**
16	लखनऊ	दु0वि0अ0 लखनऊ	49070	981.400	5221	422.901	11559	277.416	**1681.717**
17	रायबरेली	-तदैव-	7896	157.920	807	65.367	1328	31.872	**255.159**
18	उन्नाव	-तदैव-	5744	114.880	585	47.385	811	19.464	**181.729**
19	सीतापुर	-तदैव-	4700	94.000	294	23.814	663	15.912	**133.726**
20	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपरु-खीरी	10797	215.940	1139	92.259	1932	46.368	**354.567**
21	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	8630	172.600	888	71.928	1906	45.744	**290.272**
22	बदॉयू	-तदैव-	15149	302.980	941	76.221	1798	43.152	**422.353**
23	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0पीलीभीत	974	19.480	82	6.642	166	3.984	**30.106**
24	शाहजहॉपुर	उप दु0वि0अ0शाहजहॉपुर	10338	206.760	1681	136.161	3404	81.696	**424.617**
25	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	21303	426.060	2105	170.505	4167	100.008	**696.573**
26	गाजियाबाद	-तदैव-	1066	21.320	100	8.100	153	3.672	**33.092**
27	हापुड़	-तदैव-	3418	68.360	353	28.593	870	20.880	**117.833**
28	गौतमबुद्धनगर (नोएडा)	-तदैव-	3530	70.600	354	28.674	666	15.984	**115.258**
29	बुलन्दशहर	-तदैव-	9780	195.600	627	50.787	2040	48.960	**295.347**
30	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	6475	129.500	490	39.690	899	21.576	**190.766**
31	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	7996	159.920	1000	81.000	2118	50.832	**291.752**
32	शामली	-तदैव-	645	12.900	67	5.427	135	3.240	**21.567**
33	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	14919	298.380	1919	155.439	2769	66.456	**520.275**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

34	सम्भल	-तदैव-	2731	54.620	281	22.761	469	11.256	**88.637**
35	अमरोहा	-तदैव-	8550	171.000	974	78.894	1765	42.360	**292.254**
36	रामपुर	-तदैव-	2157	43.140	222	17.982	350	8.400	**69.522**
37	बिजनौर	-तदैव-	23416	468.320	2410	195.210	4679	112.296	**775.826**
38	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	9885	197.700	706	57.186	1426	34.224	**289.110**
39	चन्दौली	-तदैव-	9547	190.940	1294	104.814	2623	62.952	**358.706**
40	गाजीपुर	-तदैव-	4648	92.960	478	38.718	968	23.232	**154.910**
41	जौनपुर	-तदैव-	3421	68.420	351	28.431	713	17.112	**113.963**
42	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	3339	66.780	344	27.864	696	16.704	**111.348**
43	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	2790	55.800	287	23.247	581	13.944	**92.991**
44	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	1038	20.760	107	8.667	216	5.184	**34.611**
45	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	5973	119.460	615	49.815	1245	29.880	**199.155**
46	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	645	12.900	67	5.427	135	3.240	**21.567**
47	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	2636	52.720	271	21.951	549	13.176	**87.847**
48	कुशीनगर	-तदैव-	1289	25.780	133	10.773	269	6.456	**43.009**
49	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	5736	114.720	590	47.790	1195	28.680	**191.190**
50	संतकबीरनगर	-तदैव-	1082	21.640	111	8.991	226	5.424	**36.055**
51	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	2276	45.520	234	18.954	474	11.376	**75.850**
52	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0आजमगढ़	3813	76.260	391	31.671	761	18.264	**126.195**
53	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	101	2.020	13	1.053	88	2.112	**5.185**
54	बलिया	-तदैव-	5513	110.260	566	45.846	1115	26.760	**182.866**
55	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज	11714	234.280	1202	97.362	2432	58.368	**390.010**
56	कौशाम्बी	-तदैव-	682	13.640	79	6.399	167	4.008	**24.047**
57	फतेहपुर	-तदैव-	4627	92.540	473	38.313	956	22.944	**153.797**
58	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	4495	89.900	460	37.260	928	22.272	**149.432**
59	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	1430	28.600	147	11.907	298	7.152	**47.659**
60	कानपुर देहात	-तदैव-	953	19.060	98	7.938	199	4.776	**31.774**
61	फर्रूखाबाद	-तदैव-	8088	161.760	784	63.504	1589	38.136	**263.400**
62	कन्नौज	-तदैव-	4653	93.060	527	42.687	1065	25.560	**161.307**
63	औरैया	-तदैव-	308	6.160	32	2.592	64	1.536	**10.288**
64	इटावा	-तदैव-	640	12.800	66	5.346	133	3.192	**21.338**
65	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	16739	334.780	1711	138.591	3554	85.296	**558.667**
66	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	19439	388.780	1691	136.971	4425	106.200	**631.951**
67	सुल्तानपुर	-तदैव-	9420	188.400	709	57.429	2433	58.392	**304.221**
68	अमेठी	-तदैव-	1972	39.440	203	16.443	411	9.864	**65.747**
69	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	25956	519.120	2441	197.721	5752	138.048	**854.889**
70	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	7494	149.880	1697	137.457	1436	34.464	**321.801**
71	बलरामपुर	-तदैव-	2159	43.180	94	7.614	196	4.704	**55.498**
72	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	1900	38.000	164	13.284	239	5.736	**57.020**
73	बहराइच	-तदैव-	818	16.349	128	10.368	261	6.264	**32.981**
	कुल योग		**450187**	**9003.729**	**46303**	**3750.543**	**93572**	**2245.728**	**15000.000**

(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in